संख्या- 59 /2026/ 444 /चार-2026-2022755

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 21 फरवरी, 2026**

विषय:- दिनांक 15 फरवरी से 19 फरवरी, 2026 की अवधि में चित्रकूट में आयोजित राष्ट्रीय रामायण मेला का 53वां समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4297/सं0नि0-15(123)/2024-25, दिनांक 09 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री प्रशान्त करवरियो, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय रामायण मेला, चित्रकूट धाम के पत्र संख्या- शून्य दिनांक 16.01.2026 संलग्न कर अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय रामायण मेला का 53वां समारोह दिनांक 15 फरवरी से 19 फरवरी, 2026 तक होना है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सांस्कृतिक दल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त के क्रम में निम्नवत् कार्यक्रम कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र०	कलाकार का नाम/ मो0 नं0	विधा	सदस्य संख्या	कार्यक्रम का अवसर/ श्रेणी	मानदेय	किराया	कुल धनराशि
1.	श्री रूपेश मिश्रा, सिद्धार्थनगर, 8528606316	लोक गायन	7	द्वितीय/ विशिष्ट श्रेणी	1,00,000.00 (एकमुश्त)	-	1,00,000.00
2.	सुश्री सजोली पाण्डेय, 8090289926	लोक गायन	7	द्वितीय/ बी ग्रेड	45,000.00	15,000.00	60,000.00
3.	सुश्री प्रीति सिंह, प्रयागराज 8787026594	ढेढिया नृत्य/ गायन	12	द्वितीय/ गैर ग्रेड	40,000.00	8,000.00	48,000.00
4.	श्री शरद अनुरागी, महोबा 9616351880	आल्हा गायन	7	द्वितीय/ बी ग्रेड	45,000.00	5,000.00	50,000.00
5.	सुश्री अर्चना कोतार्य, झांसी 8922814896	लोक गायन	7	प्रथम/ बी ग्रेड	45,000.00	5,000.00	50,000.00
6.	श्री रामदेव शर्मा, मुजफ्फरनगर 949412476891	लोक गायन	7	तृतीय/ बी ग्रेड	45,000.00	50,000.00	95,000.00
	योग (रू0 चार लाख तीन हजार मात्र)						4,03,000.00

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 245 /2025/ 1621 /चार-2025-1901893 दिनांक 10 जून, 2025 द्वारा दिनांक 26 फरवरी से 02 मार्च, 2025 की अवधि में राष्ट्रीय रामायण मेला, चित्रकूट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रू0 2.46 लाख (रूपये दो लाख छियालीस हजार मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष की भांति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 25 फरवरी से 19 फरवरी, 2026 की अवधि में चित्रकूट में आयोजित राष्ट्रीय रामायण मेला का 53वां समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु **रू0 2.46 लाख (रूपये दो लाख छियालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) गत वर्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा तक कलाकारों की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव अनुमोदित है।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।